

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

बीज भवन पूसा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली

9(1)/21-22/NSC/Wel./Medical/HO

Dated 27.12.2021

SPEED POST

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

सभी फार्म प्रभारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक,

एवं क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- मुख्यालय परिपत्र एनएससी /वेल. /मेडी. बिल /17-18 दिनांक 16.4.2018 के संदर्भ में ।
महोदय ,

इस विषय में संग्यान में आया है कि मुख्यालय, फार्मों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से चिकित्सा बिलों को जाँचे बिना एवं पूरा दस्तावेजों के बिना मुख्यालय कल्याण विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।


इस विषय में मुख्यालय स्तर पर वित्त विभाग द्वारा भी संग्यान में लिया है कि मुख्यालय, फार्मों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तुत चिकित्सा बिलों को पूरा दस्तावेजों एवं निम्न विवरण सहित मुख्यालय कल्याण विभाग को प्रस्तुत किए जाय ।

1. कर्मचारियों के आश्रितों की सूची प्रत्येक कलेंडर वर्ष 1 जनवरी के अनुसार घोषणा पत्र में नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि आश्रितों के चिकित्सा खर्च का भुगतान घोषणा पत्र के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
2. कर्मचारियों के माता -पिता की मासिक आय सहित प्रत्येक कलेंडर वर्ष 1 जनवरी के अनुसार घोषणा पत्र में नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करें ।
3. फार्म एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के चिकित्सा बिलों की वित्तीय वर्ष से संबंधित देयता सूनीश्चित की जाय ।
4. विशेष रोग से संबंधित बिलों को प्रस्तुत किए जाने पर वार्षिक सीमा के अन्तरगत प्रतिपूर्ति कि गई राशि भी अंकित करें ।
5. कर्मचारी अथवा आश्रितों के अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सलग्न करें ।
6. अस्पताल के चिकित्सक द्वारा भर्ती के लिए परामर्श अथवा आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
7. चिकित्सा बिलों को सीजीएचएस रेट पर जांच के उपरांत नियमानुसार देय राशि टेस्ट रिपोर्ट, डिस्चार्ज बिल समरी अस्पताल मोहर इत्यादि सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करें ।
8. चिकित्सा बिलों को राष्ट्रीय बीज निगम चिकित्सा नियमानुसार मुख्यालय को प्रस्तुत करें संबंधित चिकित्सा बिलों को क्रमचारी द्वारा स्वयं भी प्रमाणित के उपरांत मुख्यालय को प्रस्तुत करें ताकि संबंधित बिलों का भुगतान समय पर किया जा सके ।

अतः इस विषय में पूनः सूचित किया जाता है कि उपयुक्त दस्तावेज को पूरा नहीं किए जाने पर चिकित्सा बिलों को संबंधित कर्मचारी एवं संबंधित कार्यालय को सक्षम अधिकारी के स्वीकृति बिना वापस किया जाएगा और मुख्यालय द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं कि जाएगी ।

प्रतिलिपि:- मुख्यालय, सभी फार्मों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।

नोटिस बोर्ड , निगम मुख्यालय सभी विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ ।


धर्मेंद्र कुमार
प्रबन्धक कल्याण